न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :– 55/2017 ई.रे. दिनांक 23.12.2025

1. पुष्कर पिता गणेश डांगी निवासी बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
2. सुरेश पिता गणेश डांगी निवासी बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
3. चम्पालाल पिता देवा डांगी निवासी बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी

– प्रार्थीगण

बनाम

1. राजमल पिता गणेश डांगी निवासी बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
2. सांवरलाल पिता नन्दा डांगी निवासी बोहेड़ा तहसील बडीसादड़ी
3. भंवरीबाई पुत्री नन्दा पत्नी शंकर डांगी निवासी बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
4. रूकमणी बाई पुत्री नन्दा पत्नी उदयलाल डांगी निवासी बोहेड़ा
5. तहसीलदार बड़ीसादड़ी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित– श्री डी.के. वैष्णव वकील प्रार्थीगण
श्री आर.एस. झाला वकील विपक्षीगण

–:: आदेश::–

प्रार्थीगण की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि –

1. प्रार्थीगण एक वाद विपक्षीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर दिया है जो ठोस तथ्यों पर आधारित होने से निश्चित ही प्रार्थी के पक्ष में निर्णित होगा।
2. खाता सं. 183 आराजी नं. 5050 रकबा 0.2400 हैक्ट. जिसके पुराने नं. 3387 मीन रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा तथा आराजी नं. 5047 रकबा 1.100 हैक्ट. जिसके पुराने नं. 5167/3385 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा प्रार्थीगण व विपक्षीगण सं. 1 की खातेदारी में दर्ज है जो मौजा बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी में स्थित है।
3. खाता सं. 1355 की आराजी नं. 5051 रकबा 0.1500 हैक्ट. जिसके पुराने नं. 5168/3387 रकबा 14 बिस्वा व आराजी नं. 5048 रकबा 1.1000 हैक्ट. जिसके पुराने नं. 3385 मीन रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा वाके मौजा बोहेडा तहसील बड़ीसादड़ी में स्थित है ।
4. प्रार्थी एवं विपक्षीगण का पारीवारिक सजरा इस प्रकार है कि भेरा जी के दो पुत्र रूपा व देवा हुए। रूपा की मृत्यु हो चुकी है जिसका वारीस उसका पुत्र नन्दा हुआ। नन्दा की भी मृत्यु हो चुकी है जिसका वारीस उसका पुत्र सांवरलाल व पुत्रियां भंवरीबाई व रूकमणी बाई है जो विपक्षीगण सं. 2 से 4 है। देवा की भीं मृत्यु हो चुकी है जिसके वारीस उसका पुत्र गणेशलाल व चम्पालाल प्रार्थी सं. 3 है। गणेशलाल की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारीस उसके पुत्र पुष्कर सुरेश व राजमल हुए।
5. प्रार्थनापत्र की कलम सं. 2 व 3 में वर्णित आराजीयात भेरा जी के समय से चली आ रही है। भेरा जी के दो पुत्र रूपा व देवा हुए। रूपा की मृत्यु हो चुकी है जिसका वारीस उसका पुत्र नन्दा हुआ। नन्दा की भी मृत्यु हो चुकी है जिसका वारीस उसका पुत्र सांवरलाल व पुत्रियां भंवरीबाई व रूकमणी बाई है जो विपक्षीगण सं. 2 से 4 है। देवा की भीं मृत्यु हो चुकी है जिसके वारीस उसका पुत्र गणेशलाल व चम्पालाल प्रार्थी सं. 3 है। गणेशलाल की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारीस उसके पुत्र पुष्कर सुरेश व

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

राजमल हुए। वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण व राजमल का देवा के वारीसान होने से इनका शामलती 1/2 हक हिस्सा है तथा विपक्षी सं. 2 से 4 रूपा के वारीसान होने से इनका 1/2 हक हिस्सा है व इसी हक हिस्से अनुसार मौके पर काबीज होकर काश्त करते चले आ रहे है। गणेशलाल की मृत्यु होने से गणेशलाल का हिस्सा प्रार्थीगण सं. 1 व 2 विपक्षी सं. 1 के खातेदारी में घोषित किया जावे व राजस्व रिकोर्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है।

6. आराजी नं. 5050 प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 के संयुक्त खातेदारी की है जो 22 बिस्वा है तथा आराजी नं. 5051 विपक्षी सं. 2 से 4 के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जो 14 बिस्वा है। उक्त आराजी का पुराना मूल नं. 3387 है जो पुराने नक्शे में एक ही चक है। उक्त आराजी नं. 5051 के 7 बिस्वा आराजी पर प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 अपने पूर्वजो के समय से काबीज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा आराजी नं. 5050 के रकबे में 7 बिस्वा रकबा मिलकर कुलिया आराजी को मौके पर एक ही चक कर रखा है तथा करीब 50 वर्षो से काबीज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। जिससे प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के एडवर्स पजेशन से खातेदार काश्तकार हो चुके है तथा शेष आराजी पड़त है जिसमें होकर प्रार्थीगण अपने खातेदारी की आराजी नं. 5050 पर पहुंचते है। इसलिये आराजी नं. 5050 का 7 बिस्वा रकबा प्रार्थीगण के खातेदारी में घोषित किया जावे तथा आराजी नं. 5051 के पश्चिम दिशा में स्थित 12 फीट चोड़े रास्ते को नक्शे में दर्शित किया जावे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कराया जावे व प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 की खातेदारी में आराजीयात घोषित की जावे।

7. आराजी नं. 5048 विपक्षी सं. 2 से 4 के खातेदारी में दर्ज रिकोर्ड है तथा आराजी नं. 5047 प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सटमा आराजी नं. 5050 स्थित है जिस पर प्रार्थीगण काबीज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त आराजी नं. 5047 व 5048 का पुराना नं. 3385 है जो पुराने नक्शे में एक ही चक दर्शित है तथा 3385 का नक्शे में 2 भाग में भी दर्शित नहीं कर रखा है लेकिन हाल ही में हुए सेटलमेंट में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की जगह विपक्षी ही आराजी नं. 5048 दर्शित कर दी है इसलिये आराजी नं. 5048 की जगह 5047 नक्शे में संशोधित किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधित किया जावे।

8. आराजी नं. 5051 व 5048 विपक्षीगण सं. 2 से 4 के खातेदारी में दर्ज रिकोर्ड है जबकि आराजी नं. 5048 की जगह प्रार्थीगण काबीज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा आराजी नं. 5051 के 7 बिस्वा रकबे पर प्रार्थीगण काबीज है तथा शेष पड़त आराजी में से होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी ही आराजी नं. 5050 पर पहुंचते है जिसका नाजायज फायदा उठाकर विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात का अपनी खातेदारी में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर आराजीयात को रहन बय बक्षीश कर हस्तांतरीत करने पर अमादा है तथा प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर पहुंचते मे बाधा उत्पन्न कर रहे है तथा हल बैलगाड़ी व कृषि उपकरण को भी नही ले जाने दे रहे है। इसलिये विपक्षीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात को रहन बय बक्षीश कर हस्तांतरीत नहीं करें न करावे तथा प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात का शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे तथा मौके व राजस्व रिकोर्ड की तथा स्थिति बनाये रखे।

9. विपक्षीगण सं. 2 से 4 वादग्रस्त आराजी नं. 5051 व 5048 अपनी खातेदारी में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर विक्रय करने पर आमादा है जबकि आराजी नं. 5051 व 5048 पर विपक्षीगण का कभी कब्जा नहीं रहा। प्रार्थीगण ने काफी मेहनत कर अपने कब्जे काश्त की आराजी को उपजाउ बनाया है तथा बंटवाडे से प्राप्त आराजी पर करीब 50 वर्षो से शांति पूर्वक काबीज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है तथा आराजी नं. 5051 के 7 बिस्वा रकबे के बजाय विपक्षीगण को अन्य आराजी बंटवाडें में दी थी जो विपक्षीगण ने विक्रय कर दी है लेकिन वादग्रस्त आराजी विपक्षीगण के खातेदारी में दर्ज हो गयी है जिसका नाजायज फायदा उठाकर वे विक्रय करने पर आमादा है और गांव मे कहते फिर रहे है कि मेरे खाते में जो आराजी है वो मैं विक्रय करूंगा जिससे अजनबी केता प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में आकर दखलंदाजी करेंगे व प्रार्थीगण को परेशान करेंगे इसलिये विपक्षीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। इसलिये प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

सहायक कलेक्टर
वड़ीसादड़ी

10. प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार होकर मौके पर करीब 50 वर्षो के काबीज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिससे प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। विपक्षीगण को जरीये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद नहीं किया गया तो वे वादग्रस्त आराजीयात को अन्य व्यक्ति को हस्तांतरीत कर देंगे जिससे प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की आराजीयात से वंचित हो जावेंगे इसलिये विपक्षीगण को जरीये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि विपक्षीगण को जरीये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात को खुर्द बुर्द नहीं करें न करावे तथा मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

वकील विपक्षी को जवाब के कई अवसर दिये गये । जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– **<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>**

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि वाद ग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार हैं। आराजी नं. 5051 व 5048 विपक्षीगण सख्या 2 से 4 के खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड हे जबकि आराजी नं. 5048 की जगह प्रार्थीगण काबीज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा आराजी नं. 5051 के 7 बिस्वा रकबे पर प्रार्थीगण काबीज है तथा शेष पड़त आराजी में से होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी नं. 5050 पर पहुंचते है जिसका नाजायज फायदा उठाकर विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात का अपनी खातेदारी में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर आराजीयात को रहन बय बक्षीश कर हस्तांतरीत करने पर आमादा है। विपक्षीगण प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने पर आमादा है । इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

<u>2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–</u>

चूंकि वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। जिससे प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टिया केश प्रमाणित है । तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि विपक्षीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरीत करने में सफल हो जावेगें जिससे अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थीगण साबित करने में सफल रहे है।

–:निर्णयः–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. को स्वीकार किया जाता है। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 15.09.2017 के अनुसार विपक्षीगण मौजा बोहेड़ा पटवार हल्का बोहेड़ा की आराजी नं. 5050, 5047, 5051, 5048 के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इस हेतु विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है ।

यह आदेश आज दिनांक 23.12.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़) सत्यमेव जयते

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी